प्रकाशन संख्या-494

सत्यमेव जयते

बिहार विधान-सभा

लोक लेखा समिति

का

प्रतिवेदन संख्या-484वाँ

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग से संबंधित सी०ए०जी० के अंकेक्षण प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष-2006-07 (4.3.1 एवं 4.4.4) पर लोक लेखा समिति का 484वाँ प्रतिवेदन ।

दिनांक...को सदन में उपस्थापित ।

विषय-सूची

		पृष्ठ
लोक लेखा समिति का गठन वर्ष-2011-12	--	क
लोक लेखा समिति की उप-समिति-(2) का गठन वर्ष-2011-12 -	--	ख
सभा सचिवालय के पदाधिकारीगण/कर्मचारीगण	--	ग
प्रधान महालेखाकार कार्यालय के पदाधिकारीगण, वित्त	--	ग
विभाग के पदाधिकारीगण	--	ग
प्राक्कथन	--	ङ
प्रतिवेदन	--	1-4
वर्ष कंडिका		
2006-07 (सिविल)		4.3.1 एवं 4.4.4
परिशिष्ठ--		5-21

127 प्र0 प्र0 –

लोक लेखा समिति का गठन वर्ष 2011-2012 (पंचदश विधान-सभा)

सभापति

श्री ललित कुमार यादव -- स०वि०स०

सदस्यगण

श्री राजेश सिंह -- स०वि०स०
श्री रामचन्द्र सहनी -- स०वि०स०
श्री अनिरूद्ध प्रसाद यादव-- स०वि०स०
श्री अशोक कुमार -- स०वि०स०
श्री मंजीत कुमार सिंह -- स०वि०स०
श्री अभिराम शर्मा -- स०वि०स०
श्री अनन्त कुमार सत्यार्थी-- स०वि०स०
श्री विनोद नारायण झा -- स०वि०स०
श्रीमती उषा सिन्हा -- स०वि०स०
श्री कृष्ण नन्दन यादव -- स०वि०स०
श्री मनोहर प्रसाद सिंह -- स०वि०स०
श्री राणा गंगेश्वर सिंह -- स०वि०स०
श्री नीरज कुमार -- स०वि०प०
मो० हारुन रसीद -- स०वि०प०
डॉ० राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता -- स०वि०प०
श्री केदार नाथ पाण्डेय -- स०वि०प०

'ख'

लोक लेखा समिति की उप-समिति-(2) का गठन

वर्ष-2011-12

सभापति

श्री ललित कुमार यादव	--	स०वि०स०
संयोजक		
श्री अनन्त कुमार सत्यार्थी	--	स०वि०स०
सदस्यगण		
श्री राणा गंगेश्वर सिंह	--	स०वि०स०
श्री अभिराम शर्मा	--	स०वि०स०
मो० हारुन रसीद	--	स०वि०प०

'ग'

बिहार विधान-सभा सचिवालय

श्री लक्ष्मीकांत झा	--	प्रभारी सचिव
श्री हरेराम मुखिया	--	उप-सचिव
श्री तारानन्द रजक	--	अवर-सचिव
श्री भूदेव राय	--	अवर-सचिव
श्रीमती अनुपमा प्रसाद	--	प्रशाखा पदाधिकारी
श्री छोटे पासवान	--	वरीय लिपिक
श्री उमाशंकर यादव	--	वरीय लिपिक
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह	--	कनीय लिपिक,

प्रधान महालेखाकार कार्यालय

श्री प्रेमन दिनाराज	--	प्रधान महालेखाकार
श्री परवेज आलम	--	सहायक महालेखाकार
श्री अनिल कुमार वर्मा	--	वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी

वित्त विभाग

श्री अशोक प्रियदर्शी	--	उप-सचिव ।

प्राक्कथन

मैं, सभापति, लोक लेखा समिति की हैसियत से पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2006-07 (सिविल) की कंडिका 4.3.1, 4.4.4 पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन संख्या 484वाँ प्रस्तुत करता हूँ ।

उक्त प्रतिवेदन दिनांक 28 मार्च, 2012 को लोक लेखा समिति (मुख्य) की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया है । लोक लेखा समिति की उप-समिति-(2) को विभाग के साथ कुल 2 बैठकें हुई हैं ।

प्रतिवेदन तैयार करने के क्रम में प्रधान महालेखाकार कार्यालय एवं वित्त विभाग के प्रतिनिधि से समिति को जो वांछित सहयोग मिला है, जिसके लिए मैं अपनी तथा समिति की ओर से उन्हें धन्यवाद देता हूँ ।

सभा सचिवालय के पदाधिकारीगण एवं कर्मचारीगण द्वारा प्रतिवेदन तैयार करने में समिति को जो सहयोग प्रदान किया गया है, वह सराहनीय है । इसके लिए मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ ।

समिति के माननीय सदस्यों द्वारा अपना बहुमूल्य समय देकर प्रतिवेदन को तैयार करने में जो सहयोग किया गया है, मैं उसके लिए उनका आभारी हूँ और इस कार्य हेतु मैं उन्हें सहृदय धन्यवाद देता हूँ ।

पटना:
दिनांक 28 मार्च, 2012

सभापति,
ललित कुमार यादव,
लोक लेखा समिति,
बिहार विधान-सभा, पटना ।

सी०ए०जी० प्रतिवेदन वर्ष-2006-07 (सिविल) पृष्ठ सं0-144 से 146, कंडिका सं0-4.3.1

4-3-1 निष्फल व्यय

अकार्यरत कर्मचारियों और व्याख्याताओं को वेतन भुगतान के कारण 1.69 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय

छः कार्यालयों/संस्थाओं के माध्यम से संपादित की जाने वाली योजनाओं से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि अकार्यरत कर्मचारियों पर निम्नलिखित 1.69 करोड़ रुपये का वेतन भुगतान किया गया:-

59 अररिया:1.20 करोड़ रुपये, किशनगंज 296 करोड़ रुपये, पूर्णियाँ 167 करोड़ रुपये और सीतामढ़ी: 0.
61 करोड़ रुपये

31 मार्च 2007 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)

विभाग/कार्यालय/ संस्था का नाम	अकार्यरत कर्मियों की संख्या	अकार्यरत अवधि के लिए वेतन भुगतान		अभ्युक्ति
		अवधि	भुगतान (रुपये लाख में)	
मत्स्य एवं पशुपालन विभाग जिला पशुपालन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर, मुंगेर	8[60]	2003—07	33.69[61]	कर्मि सांढ वितरण, चारा विकास और कुक्कुट पालन हेतु नियुक्त थे। योजना 2003-04 से लागू नहीं थी।
मानव संसाधन विकास विभाग प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बांका	9	2003—07	30.81[62]	2003-04 से कोई प्रशिक्षण वर्ग/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम संचालित नहीं हुआ है।
मानव संसाधन विकास विभाग राजकीय बालिका उच्च विद्यालय, गुलजारबाग	1	सितंबर 2003 से फरवरी 2007	7.65	मैथिली व्याख्याता की नियुक्ति की तिथि (फरवरी 1990) के बाद किसी भी छात्र ने विद्यालय में मैथिली विषय में प्रवेश नहीं लिया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ए०एन०एम० प्रशिक्षण विद्यालय, सासाराम	10	2001-06	77.13	प्रशिक्षण विद्यालय दिसम्बर 1996 से क्रियाशील नहीं है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ए०एन०एम० प्रशिक्षण विद्यालय, हथुआ, गोपालगंज	7	2004 से नवंबर 2006	19.84	2004-07 के दौरान किसी प्रशिक्षु ने प्रवेश नहीं लिया।
			169.12	

राजकीय बालिका उच्च विद्यालय, गुलजारबाग ने बताया (मार्च 2007) कि मामला सरकार को संदर्भित कर दिया जाएगा। ए०एन०एम० विद्यालय, सासाराम ने जवाब दिया कि इन कर्मचारियों को, कहीं अन्यत्र स्थानांतिरित करने हेतु आयुक्त-सह-सचिव/निदेशक को कई बार आग्रह किया गया लेकिन कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ (नवंबर 2006) उन्होंने यह भी बताया कि इन कर्मचारियों से सदर अस्पताल में काम लिया जा रहा है, जो स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इनके वेतन की निकासी ए०एन०एम० प्रशिक्षण विद्यालय के बजट प्रावधान से की जाती थी। सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गोपालगंज ने बताया (नवंबर 2006) कि मामला मुख्य निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ को संदर्भित की जाएगी।

इस प्रकार पशुपालन विभाग, मानव संसाधन विकास विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा कर्मचारियों को पुनर्नियोजित करने में निष्क्रियता के

---

60 1. मुंगेर पशु चिकित्सा सहायक-3 अनुसेवक-2 कार्यकर्ता-1

61 2. मुजफ्फरपुरः पशु चिकित्सा निरीक्षक-1. पशु चिकित्सा सहायक-1 सहायक पशु विकास पदाधिकारी-1

मुंगेर 13.72 लाख रुपये, मुजफ्फरपुरः 19.97 लाख रुपये

62 2003-04:. 9.00 लाख रुपये 2004-05: 8.62 लाख रुपये 2005-06 13.19 लाख रुपये

परिणामस्वरूप 2003-07 के दौरान वेतन भुगतान पर 1.69 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय हुआ।

विभागीय स्पष्टीकरण

जिला पशुपालन पदा०, मुजफ्फरपुर द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि:-

(1) मुख्य बजट शीर्ष 2403 पशुपालन-गैर योजना-102 पशु तथा भैंस विकास-0005-प्रमाणित सांढ़ों के ग्राम्य क्षेत्रों एवं राष्ट्रीय विस्तार प्रखंडों में वितरण की योजना विपत्र कोड एन० 2403001020005 एक स्थाई गैर-योजनात्मक योजना है । इस योजना के तहत कार्यालय में एक पशुधन निरीक्षक एवं एक पद चपरासी का सृजित है एवं स्वीकृत है, इनका कार्य विभागीय कार्यों का प्रतिवेदन एवं विभागीय कार्य योजना से संबंधित कार्य इनके जिला कार्यालय में लिया जाता है ।

(2) मुख्य बजट शीर्ष 2403 पुशपालन-गैर-योजना-107 चारा तथा चारागाह विकास, मांग सं०-2,0001-चारा विकास की स्थापना विपत्र कोड एन० 2403001070001 एक स्थाई गैर-योजनात्मक योजना है । इस योजना के तहत जिला कार्यालय में एक पद चारा अधिदर्शक तथा एक पद कामदार का सृजित एवं स्वीकृत है, जिनका कार्य भारत सरकार से प्राप्त चारा बीजों को किसानों के बीच वितरित करना है तथा चारा संबंधित संचिकाओं का निष्पादन एवं प्रतिवेदन का प्रेष्ण किया जाता है ।

(3) मुख्य बजट शीर्ष 2403 पशुपालन-गैर योजना-10.3 कुक्कुट विकास मांग सं०-2-003-कुक्कुट पालन विकास की स्थायी गैर-योजनात्मक है । इसका विपत्र कोड एन० 2403001030003 है । इस योजना के तहत एक पद सहायक कुक्कुट पदाधिकारी का सृजित एवं स्वीकृत है, इनका दायित्व जिलान्तर्गत सरकार द्वारा चलाये जा रहे कुक्कुट विकास की योजना का धरातल पर क्रियान्वयन करना है ताकि कुक्कुट व्यवसाय को बढ़ावा मिल सके । पशुपालन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, जिससे बेरोजगार युवकों को नवीन तकनीक से अवगत कराकर कुक्कुट पालन व्यवसाय हेतु प्रेरित करना इनका मुख्य कार्य क्षेत्र है (अनुलग्नक-1)

जिला पशुपालन पदा०, मुंगेर द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि साढ़ वितरण योजना जमालपुर एवं धरहरा में पशुधन सहायक क्रमशः दो-दो पद एवं एक चपरासी का पद सरकार द्वारा सृजित है जिसका पदस्थापन प्रखंड के प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी एवं जिला पशुपालन पदाधिकारी के अधीन होता है ।

प्रखंड स्तर पर प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी के अधीन दो-दो उप-केन्द्र होते हैं । कार्यरत पशुधन सहायकों का पदस्थापन प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी अपने अधीन उप-केन्द्र करते है, जहाँ ग्रामीण इलाके के आये पशुओं का First Aid के रूप में ईलाज किया जाता है । इसके अतिरिक्त प्रखंड स्तर पर फैले महामारी एवं आपदा संबंधित कार्यों के निष्पादन में इनकी प्रतिनियुक्ति की जाती है । इसके लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है । इसी तरह चारा विकास योजना में एक कर्मचारी का वेतन भुगतान किया जा रहा है जिससे विभाग द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले चारा के उठाव एवं प्रखंड स्तर पर वितरण आदि के कार्यों को करने में लगाया जाता । अतः चारा विकास योजना/सांढ़ वितरण योजना पर व्यय की गई राशि को निरर्थक नहीं माना जाय ('अनुलग्नक-2) ।

अनुलग्नक पृ०सं०-5 से 9 द्रष्टव्य ।

समिति की अनुशंसा

विभाग के द्वारा निष्क्रियता बरती गयी है । भविष्य में इस तरह की निष्क्रियता नहीं बरती जाय, कर्मचारियों को दूसरी जगह पर लगाया जा सकता था, इसमें विभाग की ओर से लापरवाही बरती गयी है । भविष्य में इस तरह की गलती की पुनरावृति न हो, इस पर वित्त विभाग एवं महालेखाकार की भी सहमति है, इस निदेश के साथ दिनांक 6 जुलाई, 2011 को इस कंडिका को विलोपित किया जाता है ।

सी0ए0जी0 प्रतिवेदन वर्ष-2006-07 (सिविल) पृष्ठ सं0-158 से 159, की कंडिका सं0-4.4.4

4.4.4 केन्द्रीय अनुदान का दुरूपयोग

कोशी क्षेत्र डेरी विकास के लिए 34-10 लाख रुपये की निधि का दुरूपयोग कार्यान्वयन अभिकरण की इकाई के सुदृढ़ीकरण में किया गया ।

भारत सरकार (भा०स०) ने गहन डेरी विकास कार्यक्रम (ग०डे०वि०का०) का आरंभ दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए लोगों के पोषण स्तर को सुधारने के लिए, रोजगार की संभावना का सृजन करने के लिए और ग्रामीण इलाके से विशेषकर पहाड़ी और पिछड़े इलाकों के छोटे और सीमान्त किसानों और कृषि मजदूरों की आय के स्तर को सुधारने के लिए किया था । भारत सरकार ने मई, 2004 में 64.67 लाख रुपये विमुक्त किया ।

निदेशक, डेरी विकास, बिहार, पटना के अभिलेखों की नमूना जाँच (अप्रैल/मई 2007) में प्रकट हुआ कि भारत सरकार (नवम्बर 2001) ने कोशी क्षेत्रों के सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिलों में डेरी विकास के लिए परियोजना प्रस्ताव को अनुमोदित किया । तदनुसार राज्य सरकार ने कॉमफेड को भारत सरकार से प्राप्त राशि में से 64.47 लाख रुपये उपलब्ध (मई 2004) कराया । कॉमफेड ने उपरोक्त राशि को योजना के कार्यान्वयन के लिए देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक संघ लि० (दे०रा०दु०सं०) बरौनी को उपलब्ध कराया ।

वस्तुगत एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार दे०रा०दु०सं०, बरौनी ने दिसम्बर 2006 तक 59.02 लाख रुपये खर्च किया और 5.45 लाख रुपये की शेष राशि को अपने पास रखा जो कि मई 2007 तक अव्यहत रही । इसके अतिरिक्त 59.02 लाख रुपये में से 24.92 लाख रुपये की राशि उपरोक्त जिलों में योजना के कार्यान्वयन में खर्च की गई और 34.10 लाख रुपये की शेष राशि अपनी इकाई के लिए सामान 80 के क्रय में खर्च की गई जबकि केन्द्र सरकार के दिशा निर्देश कार्यान्वयन अभिकरण के लिए क्रय को रोकता है ।

अत: दे०रा०दु०सं० बरौनी ने 34.10 लाख रुपये के केन्द्रीय अनुदान का अपनी इकाई के सुदृढ़ीकरण में दुरूपयोग किया और योजना के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई ।

सरकार ने जवाब दिया (जून 2007) कि बरौनी डेरी के सुदृढ़ीकरण पर किया गया खर्च कृषि मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए परियोजना प्रस्ताव और केन्द्र सरकार से प्राप्त स्वीकृत खर्च ब्योरे के अनुसार था । उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि निधि विशेषकर कोशी क्षेत्र के सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिलों में डेरी विकास के लिए उपलब्ध कराई गई थी । सामानों का इस्तेमाल कोशी क्षेत्र के दुग्ध विकास समिति को करना था, न कि दे०रा०दु०सं० बरौनी को ।

---

80 एस-एस खोपन 120 ली० क्षमता का घुमावदार कैप: 2.34 लाख रुपये, गुलाबजामुन फ्राइंग पैन कैन: 5.41 लाख रुपये, गलाबजामुन सुगर सिरप बनाने का पैन : 5.77 लाख रुपये, दही बनाने और पैकिंग उपकरण : 7.23 लाख रुपये, दुध का स्टेनलेस स्टील केन : 13.35 लाख रुपये ।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2007); जवाब अप्राप्त था (अक्टूबर 2007) ।

अनुपालन प्रतिवेदन/विभागीय स्पष्टीकरण

दिनांक 15 फरवरी, 2011 को लोक लेखा समिति की बैठक में विभाग द्वारा प्रस्तुत विभागीय स्पष्टीकरण (छाया प्रति संलग्न) की सुनवाई के क्रम में समिति द्वारा जिज्ञासा की गई कि आई०डी०डी०पी० योजना अन्तर्गत कोशी प्रक्षेत्र के लिए अब तक उपलब्ध कराई गई राशि से कोशी प्रक्षेत्र (सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिला) के लिए कितनी राशि व्यय की गई है तथा उसकी उपलब्धि क्या है ?

उपर्युक्त के संबंध में प्रतिवेदन निम्न प्रकार है:-

आई०डी०डी०पी० योजना अन्तर्गत कोशी प्रक्षेत्र के लिए क्रियान्वयन एजेंसी को कुल स्वीकृत राशि रु० 297.77 लाख के विरुद्ध अब तक रुपये 228.67 लाख उपलब्ध कराई जा चुकी है। जिसमें से अब तक कुल रु० 162.13 लाख व्यय किया गया है।

कुल व्यय की गई राशि रु० 162.13 लाख में से बरौनी डेरी द्वारा सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिला में गठित दुग्ध समितियों के संग्रहित दूध को बरौनी डेरी प्लांट में उपयोग किये जाने के उद्देश्य की पूर्त्ति के लिए मशीन एवं उपकरणों के क्रय एवं स्थापना में रु० 34.10 लाख व्यय किया गया है। जब कि शेष राशि रु० 128.03 लाख का व्यय सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिले में दुग्ध उत्पादकों/किसानों के विकास के लिए कर्णांकित राशि अनुरूप किया गया है।

अब तक किये गये कुल व्यय राशि रु० 162.13 लाख के विरुद्ध वित्तीय उपलब्धि एवं भौतिक उपलब्धि का मदवार अद्यतन प्रतिवेदन क्रमशः अनुलग्नक-1 तथा अनुलग्नक-2 के रूप में संलग्न है। अनुलग्नक पृ०सं०-10-20 द्रष्टव्य।

समिति की अनुशंसा

विभाग के जवाब के आलोक में एवं महालेखाकार एवं वित्त विभाग की सहमति के आधार पर दिनांक 6 जुलाई, 2011 को इस कंडिका को विलोपित किया जाता है।

पटना: सभापति,

दिनांक 28 मार्च, 2012

ललित कुमार यादव,
लोक लेखा समिति,
बिहार विधान-सभा पटना।

अनुलग्नक - 1

लोक लेखा समिति की उप समिति (2) की बैठक में उप समिति के निदेश के आलोक में भारत सरकार के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2006–07 में लंबित कंडिका–4.3.1 का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

क्र0 स0	वर्ष	कंडिका सं0	उप समिति के आपत्ति / निदेश	विभागीय स्पष्टीकरण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	2006–07	04.03.01	अकार्यरत कर्मचारियों के वेतन भुगतान के कारण निष्फल व्यय।	जिला पशुपालन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि–	
				(i)मुख्य बजट शीर्ष 2403 पशुपालन–पैर योजना–102 पशु तथा भैंस विकास–0005–प्रमाणित सॉढ़ों के ग्राम्य क्षेत्रों एवं राष्ट्रीय विस्तार प्रखंडों में वितरण की योजना विपत्र कोड एन–2403001020005 एक स्थायी गैर योजनात्मक योजना है। इस योजना के तहत कार्यालय में एक पशुधन निरीक्षक एवं एक पद चपरासी का सृजित एवं स्वीकृत है, इनका कार्य विभागीय कार्यों का प्रतिवेदन एवं विभागीय कार्य योजना से संबंधित कार्य इनसे जिला कार्यालय में लिया जाता है। अतः इस पर हुए व्यय को निष्फल नहीं माना जा सकता है।	
				(ii)मुख्य शीर्ष 2403 पशुपालन गैर योजना–107 चारा तथा चारागाह विकास माग सं0–2–0001 चारा विकास की स्थापना विपत्र कोड एन–2403001070001 एक स्थायी गैर योजनात्मक योजना है। इस योजना के तहत जिला कार्यालय में एक पद चारा अधिदर्शक तथा एक पद कामदार का सृजित एवं स्वीकृत है, जिनका कार्य भारत सरकार से प्राप्त चारा बीजों को किसानों के बीच वितरित करना है तथा चारा संबंधित संचिकाओं का निष्पादन एवं प्रतिवेदन का प्रेषण किया जाता है। अतः इस पर हुए व्यय को निष्फल नहीं माना जा सकता है।	

5

2006-07-4.3.1
2006-07 : 4.3.1

			(iii)मुख्य बजट शीर्ष 2403 पशुपालन गैर योजना 103 कुक्कुट विकास मांग सं0–2–0003–कुक्कुट पालन विकास की स्थायी गैर योजनात्मक है। इसका विपत्र कोड एन–2403001030003 है। इस योजना के तहत एक पद सहायक कुक्कुट पदाधिकारी का सृजित एवं स्वीकृत है. इनका दायित्व जिलान्तर्गत सरकार द्वारा चलाये जा रहे कुक्कुट विकास की योजना का धरातल पर क्रियान्वयन करना है ताकि कुक्कुट व्यवसाय को बढ़ावा मिल सके। पशुपालन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, जिससे बेरोजगार युवकों को नवीन तकनीक से अवगत कराकर कुक्कुट पालन व्यवसाय हेतु प्रेरित करना इनका मुख्य कार्य क्षेत्र है। अतः इस पर होने वाले व्यय को निष्फल व्यय नहीं माना जाय। अतः उक्त वर्णित परिपेक्ष में इस आपत्ति कंडिका को विलोपित किया जा सकता है। जिला पशुपालन पदाधिकारी, मुंगेर से संबंधित प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। तैयार होते ही अनुपालित कर दी जाएगी।	

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन

जिला पशुपालन पदाधिकारी, कार्यालय, मुजफ्फरपुर के लेखा से सम्बन्धित

क्रमांक	कंडिका संख्या	आपति का विषय	जिला पशुपालन पदाधिकारी का स्पष्टीकरण/अनुपालन प्रतिवेदन एवं हस्ताक्षर	क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन उत्तर बिहार क्षेत्र, मुजफ्फरपुर का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
1	4.3.1	अकार्यरत कर्मचारियों पर निष्फल व्यय मुजफ्फरपुर 19.97 लाख	(1) 2403 पशुपालन 102 पशु तथा भैंस विकास 0005 प्रभावित साढ़ों के ग्राम्यो क्षेत्रों एवं राष्ट्रीय विस्तार प्रखंडों में वितरण विपत्र कोड 2403001020005 के अधी0 कार्यालय में एक पशुधन निरीक्षक एवं एक चपरासी का पद स्वीकृत हैं यह स्थायी (गैर–योजना) स्कीन है। पदस्थपित पशुपालन निरीक्षक प्रतिवेदन एवं विभागीय प्राप्ति योजना से सम्बन्धित निष्पादित करते हैं। (2) चारा तथा चारागाह विकास विपत्र कोड 2403001070001 के अधीन एक बार चारा अधिदर्शक तथा एक कामदार का पद स्वीकृत है। यह योजना भी स्थायी गैर–योजना है। इनमें पदास्थापित कर्मचारियों चारा से सम्बन्धित संचिका के आदि का कार्य सम्पादन करते हैं। (3) कुक्कुट विकास विपत्र कोड 2403001030003 के अधीन एक पद सहायक कुक्कुट पदाधिकारी का पद स्वीकृत है। यह योजना स्थायी है इसमें पदास्थापित प्रदान कुक्कुट संबंधी कार्य का सम्पादन कार्य है।	सम्बन्धित योजनाओं में पदस्थापित पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को नियमानुसार वेतन का भुगतान किया गया है से मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ।	साढ़ वितरण योजना चारा तथा चारागाह विकास योजना तथा कुक्कुट विकास योजना, बहुत ही पुराना स्थायी योजना है, इसमें पदस्थापित कर्मचारी पशुधन निरीक्षक, चारा अधिक चारा अधिदर्शक तथा सहायक कुक्कुट पदाधिकारी अपने–अपने सम्बन्धित योजना का कार्य करते हैं 2003–04 में भी कर्म0/पदाधिकारी इस योजना में कार्यरत थे।

नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक का 31 मार्च 2007 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन
(जिला पशुपालन कार्यालय मुंगेर के लेखे से संबंधित)

क्र0	कंडिका संख्या	आपत्ति का विवरण	अनुपालन	अभ्युक्ति
1	4.3 एवं 1	सांढ़ वितरण योजना एवं चारा विकास योजना अकार्यरत कर्मचारियों पर निरर्थक व्यय रू0 13.72 लाख	साढ़ वितरण योजना जमालपुर एवं धरहरा में पशुधन सहायक का क्रमशः दो–दो पद एवं एक चपरासी का पद सरकार द्वारा सृजित है। जिसका पदस्थापन प्रखंड के प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी एवं जिला पशुपालन पदाधिकारी के अधिन होता है। प्रखंड स्तर पर प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी के अधिन दो–दो उपकेन्द्र होते है। कार्यरत पशुधन सहायकों का पदस्थापन प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी अपने अधिन उपकेन्द्र करते है जहॉ ग्रामीण इलाके के आये पशुओं का First Aid के रूप में इलाज किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रखंड स्तर पर फैले महामारी एवं आपदा संबंधित कार्यो के निष्पादन में इनकी प्रतिनियुक्ति की जाती है। इसके लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। इसी तरह चारा विकास योजना में एक कर्मचारी का वेतन भुगतान किया जा रहा है जिससे विभाग द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले चारा के उढ़ाव प्रखंड स्तर तक वितरण यादि के कार्यो को करने में लगाया जाता है। अतः चारा विकास योजना/साढ़ वितरण योजना पर व्यय की गई राशि को निरर्थक नहीं माना जाय।	

17/6/11
जिला पशुपालन पदाधिकारी
मुंगेर
17/6/11

संख्या --9 पी0एस0 (3) 221/06 --प0पा0--

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

(पशुपालन)

प्रेषक,

श्री रामनरेश प्रसाद सिंह,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

पटना--15, दिनांक

विषय:-- लोक लेखा समिति की उप समिति (2) की विभागीय बैठक के संबंध में ।

प्रसंग :-- आपके पत्रांक 1 लो0 लै0स0 14/2010--718/वि0स0 दिनांक 11--5--10.

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि पशुपालन प्रक्षेत्र से संबंधित भारत सरकार के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2002--03 (सिविल) के कंडिका 4.5.1, 4.5.5 वर्ष 2004--05 (सिविल)के कंडिका 5.1 का वांछित अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्रांक 2305 दिनांक 20--5--08 द्वारा 15 (पन्द्रह) अतिरिक्त प्रतियों के साथ आवश्यक कार्ययार्थ बिहार विधान सभा, पटना को भेजा जा चूका है । जिसकी 5--5 अतिरिक्त प्रतियाँ महालेखाकर (ले0 प0) बिहार, पटना एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को भी उपलब्ध कराया गया था । (छाया प्रति पांच प्रतियों में संलग्न)

2-- वित्तीय वर्ष 2006--07 (सिविल) की कंडिका 4.3.1 जो जिला पशुपालन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर एवं मुंगेर से संबंधित है के आलोक में जिला पशुपालन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से उक्त कंडिका से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर अतिरिक्त 15 (पन्द्रह) प्रतियों के साथ आवश्यक कार्ययार्थ भेजी जा रही है। शेष जिला पशुपालन पदाधिकारी, मुंगेर से प्रतिवेदन संकलित किया जा रहा है, संकलन के उपरान्त उक्त ज़िला का अनुपालन प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी ।

अतः कृपया प्राप्ति स्वीकार्य की जाय ।

विश्वासभाजन,

ह0/--

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक 2384. पटना--15, दिनांक 27/5/2010

प्रतिलिपि:-- वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी, महालेखाकार (ले0 प0)बिहार, पटना एवं प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को इस कार्यालय के पत्रांक 2305 दिनांक 20--5--08 की (छाया प्रति संलग्न) वर्ष 2006--07 की कंडिकाएँ 4.3.1 का आंशिक अनुपालन प्रतिवेदन पांच-पांच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

अनुलग्नक - 1

B. FINANCIAL TARGET & ACHIVEMENTS REPORT OF IDDP KOSI FOR QUARTER ENDED MARCH -11 RS. IN LACS

S.NO	COMPONENTS	E.O.P TARGET COST	TARGET QUARTERLY	ACHIEVEMENTS QUARTERLY	ACHIEVEMENTS CUMULATIVE	ACHIEVEMENTS % OF TARGET QTR.	ACHIEVEMENTS % OF E.O.P TARGET
1	PROCESSING & MARKETING	175.15	14.5	0	105.01	0	59.95
2	MILK PROCUREMENT	54.44	6.28	0	42.07	0	77.27
3	INPUT SERVICES	9.12	2.27	0	1.015	0	4.22
4	MANPOWER DEVELOPMENT	41.06	0.3	0	14.03	0	34.16
5	OTHER	0	0	0	0	0	0
6	WORKING CAPITAL	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	279.77	23.35	0	162.13	0	57.95

I/C ACCTTS 7/5/11 AUDIT (I/c MCC Saharsa) Nodal officer CHIEF EXECUTIVE 7/5/11

अनुलग्नक - 2

Quarterly Progress report on Integrated Dairy Development Project (IDDP)

Name of the State Bihar District Coverd Saharsa, madhapura, supaul Total projected cost

Total projected period Project(I,II,III $ VI YEAR OF START

Physical target Quarter Ending - January to march-2011

S.NO	COMPONENTS	E.O.P TARGET	TARGET	Quarterly (camulative) ACHIEVEMENTS	ACHIEVEMENTS %	ACHIEVEMENTS % OF E.O.P TARGET	Remarks reason for short fall if any	
1	Diary Coop. Societies						Training of D.C.S	
	a. Orgainsed	225	150	200	133.33	88.88		
	b. Functional	225	150	115	76.66	68.66	M.C.M	362
2	DCS Membership(000')			SC	380		D.A.M	670
				ST	—			
				BC	4972		Secratory	98
				Women	438		F.T.P	57
				Other	148			
				Total	5938		C.M.P	253
3	Daily Average Milk Procurement (TKGPD)	15.7	07	2.275	32.5	14.49	Total	1440
4	Daily Average Milk Marketing (TLPD)	—	—	—	—	—		
5	Daiy Plant capacity	19	09	17	188.88	89.473		
6	Milk Chilling capacity	19	09	17	188.88	89.473		
7	Milkj Procurement per DCS	75	60	19.782	32.97	26.376		
8	Milk Procurement per Member (LPD)	—	—	—	—	—		
9	Member per Functional DCS	45	45	30	66.66	66.66		
10	Cattle Induction	—	—	—	—	—		

y. b. singh (I/c MGR. Saharsa) Nodal office CE

पत्र संख्या – गव्य (अं –5) 02 / 2007 ......843..../

प्रेषक

श्री विनोद झा,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

उप सचिव
लोक लेखा समिति,
विधान सभा , पटना।

दिनांक 2 फरवरी 2008

विषय :– भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वर्ष 2006 – 07 के प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आपके पत्रांक 1313 दिनांक 14.8.2008 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2006 – 07 के भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा गव्य प्रक्षेत्र से संबंधित प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन 15 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

विश्वासभाजन

अनु० :– 7 पृष्ठ

ह० /–
सरकार के उप सचिव

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का

विभाग का नाम :- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग(गव्य विकास निदेशालय)

वर्ष :- 2006-07

कण्डिका संख्या- 4.4.4 - केन्द्रीय अनुदान का दुरूपयोग

आपत्ति

कोशी क्षेत्र डेयरी विकास के लिये 34.10 लाख रूपये की निधि का दुरूपयोग कार्यान्वयन अभिकरण की इकाई के सुदृढ़ीकरण में किया गया ।

भारत सरकार (भ0स0) ने गहन डेयरी विकास कार्यक्रम (ग्रा0डे0वि0का0) का आरंभ दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिये लोगों को पोषण स्तर को सुधारने के लिये, रोजगार की संभावना का सृजन करने के लिए, और ग्रामीण इलोके से विशेषकर पहाड़ी और पिछड़े इलाकों के छोटे और सीमांत किसानों और कृषि मजदूरों की आय के स्तर को सुधारने के लिये किया था । भारत सरकार ने मई 2004 में 64.67 लाख रूपये विमुक्त किया ।

निदेशक, डेयरी विकास, बिहार, पटना के अभिलेखों को नमूना जाँच (अप्रेल/मई,2007) में प्रकट हुआ कि भारत सरकार (नवम्बर,2001) में कोशी क्षेत्रों के सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिलों में डेयरी विकास के लिये परियोजना प्रस्ताव को अनुमोदित किया तदनुसार राज्य सरकार ने कम्फेड को भारत सरकार से प्राप्त राशि में से 64.47 लाख रूपये उपलब्ध (मई,2004) कराया । कम्फेड ने उपरोक्त राशि को योजना के कार्यान्वयन के लिये देशरत्न डा0 राजेन्द्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक संघ (दे0र0दु0सं0) बरौनी को उपलब्ध कराया ।

वस्तुगत एवं वित्तीय प्रगति पंतिवेदन के अनुसार दे0र0दु0सं0, बरौनी ने दिसम्बर,2006 तक 59.02 लाख रूपये खर्च किया और 5.45 लाख रूपये की शेष राशि को अपने पास रखा जो कि मई,2007 तक अव्यहृत रही । इसके अतिरिक्त 59.02 लाख रूपये में से 24.92 लाख रूपये की राशि उपरोक्त जिलों में योजना के कार्यान्वयन मे खर्च की गई और 34.10 लाख रूपये की शेष राशि अपनी इकाई के लिये सामान (80) के कय में खर्च की गई जबकि केन्द्र सरकार के दिशा निर्देश कार्यान्वयन अभिकरण के लिये कय को रोकता है ।

अत: दे0र0दु0सं0, बरौनी ने 34.10 लाख रूपये के केन्द्रीय अनुदान का अपनी इकाई के सुदृढ़ीकरण में दुरूपयोग किया और योजना के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई ।

सरकार के जबाव दिया (जून,2007) कि बरौनी डेयरी के सुदृढ़ीकरण पर किया गया खर्च कृषि मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए परियोजना प्रस्ताव और केन्द्र सरकार से प्रापत स्वीकृत खर्च ब्योरे के अनुसार था । उत्तर मान्य नही था क्योंकि निधि विशेषकर कोशी क्षेत्र के सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिलों में डेयरी विकास के लिये उपलब्ध कराई गई थी । सामानों का इस्तेमाल कोशी क्षेत्र के दुग्ध विकास समिति को करना था, न कि दे0र0दु0सं0, बरौनी को ।

(80) एस एस खोपन 120 ली0 क्षमता का घुमावदार कैप : 2.34 लाख रूपये, गुलाबजामुन फाईग पैन कैन : 5.41 लाख रूपये, गुलाबजामुन सुगर सिरप बनाने का पैन : 5.77 लाख रूपये, दही बनाने और पैकिंग उपकरण: 7.23 लाख रूपये, दुध का स्टेनलेस स्टील कैन: 13.35 लाख रूपये ।

विभागीय उत्तर

भारत सरकार द्वारा गहन डेरी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कोशी प्रक्षेत्र के लिये स्वीकृत परियोजना प्रस्ताव के कुल लागत राशि रू0 279.78 लाख के विरूद्ध 64.47 लाख रूपये कियान्वयन एजेन्सी को उपलब्ध कराये गये ।

कियान्वयन एजेन्सी द्वारा उपलब्ध राशि के विरूद्ध 59.02 लाख रूपये व्यय किये गये जिसमें से अंकेक्षक द्वारा 34.10 लाख रूपये की व्यय पर आपत्ति प्रकट की गयी ।

आपत्ति की गयी राशि जो विभिन्न सामग्रियों के कय से सम्बन्धित है का ब्योरा अंकेक्षक द्वारा (80) मे दिया गया है । बरौनी दुग्ध संघ द्वारा कय किये गये सभी उपकरण/सामग्री परियोजना प्रस्ताव एवं भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुरूप है (अनुलग्नक-1), जो निम्नप्रकार है:-

(रु0 लाख में)

आपत्ति		परियोजना प्रस्ताव मे उपकरण/सामग्री मद मे स्वीकृत राशि	
उपकरण/सामग्री	राशि	कंडिका सं0	राशि
1. एस.एस. खोआ पैन, 120 लीo क्षमता का घुमावदार टाईप	2.34	1.1.8	2.40
2. गुलाबजामुन फ्राईंग पैन	5.41	1.1.10& 1.1.11	5.50
3. गुलाबजामुन सुगर सिरप बनाने का पैन	5.77	1.1.12	6.50
4. दही बनाने और पैकिंग उपकरण	7.23	1.1.13	6.00
5. एस.एस. मिल्क कैन	13.35	2.1.1	13.88

पुनः भारत सरकार द्वारा स्वीकृत्यादेश संख्या-2-11/2001-डी.पी. दिनांक- 20 नवम्बर,2001 की कंडिका सं.-3(i) मे यह उल्लेख है कि - "The amount shall be utilized for the purpose for which it is sanctioned and in furtherance of objectives mentioned in the project."

अंकेक्षक द्वारा उठाई गई यह आपत्ति कि सामानों का उपयोग कोशी क्षेत्र के दुग्ध विकास समिति को करना था, के सम्बन्ध मे वस्तुस्थिति स्पष्ट करना है कि परियोजना प्रस्ताव के धारा नं0- 4.3 (अनुलग्नक-2) मे उल्लेखित है कि :-
4.3. With a view to have a forward linkage, one of the objectives of the project will be creation of necessary infrastructure for the chilling of milk, packaging of milk and production of value added products at Barauni Dairy so that disposal of milk collected by the DCS could be done.

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना प्रस्ताव के अनुरूप एवम् उद्देश्यों तथा स्वीकृत्यादेश मे उल्लेखित शर्तों के अन्तर्गत ही कियान्वयन एजेन्सी द्वारा विभिन्न मदों में राशि व्यय की गयी है । पुनः यह स्पष्ट करना है कि कोशी प्रक्षेत्र से संग्रहण किये जाने वाले दुग्ध का प्रशीतन, विधायन, पैकिंग एवं विपणन आदि के लिये बरौनी डेयरी को भी सुदृढ करना था ताकि सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिलों के दुग्ध उत्पादकों से प्राप्त दुग्ध का निस्तारण एवं समुचित मूल्य का भुगतान सुनिश्चित हो ।

अतः अंकेक्षक द्वारा यह आपत्ति करना कि बरौनी दुग्ध संघ द्वारा 34.10 लाख रूपये के केन्द्रीय अनुदान का अपनी इकाई के सुदृढ़ीकरण मे दुरूपयोग किया गया है और योजना के उद्देश्य की प्राप्ति नही हुई है, यह युक्तिसंगत नही है।

अतएव विभागीय निराकरण के आलोक मे की गई आपत्ति को विलोपित किया जा सकता है ।

उप सचिव
पशु, मत्स्य एवं संसाधन विभाग
बिहार, पटना ।

MOST IMMEDIATE

No.2-11/2001-DP
Government of India
Ministry of Agriculture
Department of Animal Husbandry and Dairying
Krishi Bhavan, New Delhi

Dated the 20 Nov, 2001

To

The Pay and Accounts Officer(Sectt)
Ministry of Agriculture
Department of Animal Husbandry and Dairying
16 Akbar Road Hutments
New Delhi-110011

Subject: ***Release of funds to Government of Bihar for implementation of the Integrated Dairy Development Project(IDDP) in Non-Operation Flood, Hilly and Backward Areas under Centrally Sponsored Plan Scheme in Madhepura, Saharasa, and Supaul (Kosi Region) Districts of Bihar State during 2001-2002(IDDP- in Bihar-VI project).***

Sir,

The undersigned is directed to convey the sanction of the President of India to the payment of Rs.64,47,000/- (Rupees Sixty four lakhs forty seven thousand only) to state government of Bihar for implementation of the above approved programme during 2001-02. Total approved cost of the project is Rs. 179.78 lakh only.

2. The expenditure is debitable to Demand No.3-Department of Animal Husbandry and Dairying, Major Head 3601-Grant in Aid to State Government, 03- Grants for Central Plan Scheme, 601 Dairy Development-Dairy Development Project, 01-IDDP in Non-Operation Flood Hilly and Backward Areas, 01,00,31-Grants in Aid.

3. The grant is subject to the following terms and conditions:-

i. The amount shall be utilised for the purpose for which it is sanctioned and in furtherance of objectives mentioned in the project.

ii. The Implementing Agency shall maintain proper accounts of the expenditure incurred and submit accounts of the expenditure incurred and submit the statement of audited accounts in the manner prescribed under Rule 149 of the GFR to the Government of India in due course.

iii. The audited records of all assets (permanent or semipermanent) acquired wholly or substantially out of the grant should be available for scrutiny by audit.

iv. The assets referred to above, shall not, without the prior approval of the Government of India, be disposed of, encumbered with or utilised for the purpose other than those for which the amount is sanctioned.

v. The state Government shall submit a Utilisation Certificate for the entire amount of grant utilized. Further request for release will be considered after obtaining Utilization Certificate in prescribed Performa, duly signed by a senior officer of the State Government.

Cont.... /2

vi. The balance, if any, remaining unspent at the close of the financial year 2001-2002 will be reported to this Ministry so that it may be taken into account while sanctioning further grants.

vii. The project will be implemented by the Bihar state Cooperative Milk Producers Federation Ltd, Patna.

viii. That the Barauni milk union will spend 12%(Rs.8.72 lacs) of the total amount earmarked for the Barauni milk plant i.e. Rs.72.65 lacs, approved under this project, for development of Cooperative infrastructure and input activities in the project. This extra expenditure of Rs.8.72 lacs will be incurred from the own resources of Barauni Milk Union.

4. This sanction has been issued with the concurrence of Finance Division of the Department of Animal Husbandry and Dairying vide Diary 3206/F(n)/? dated 12.11.2001

Yours faithfully,

(H.K Jagota)

Under Secretary to the Government of India

Copy to:

1. Principal Accounts Officer, Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry and Dairying, 16, Akbar Road Hutments, New Delhi-110011
2. The Account General, Commerce, Works and Miscellaneous, AGCR Building Near ITO, New Delhi – 110 002.
3. Chief Controller of Accounts, Department of Agriculture and Cooperation, Krishi Bhavan, New Delhi.
4. The Accountant General, Office of the Account General (Audit–I), Bihar, Ranchi
5. Planning Commission(Agri. Division), Yojana Bhavan, New Delhi-110001
6. US(Finance), Integrated Finance Division (IFD), Department of Animal Husbandry and Dairying, Krishi Bhavan, New Delhi-110001
7. The Managing Director,NDDB, Post Box-40,Anand-388001
8. Secretary , Department of AH & Fisheries., , Government of Bihar, New Secretariat, Patna 800 015
9. Resident Commissioner, Government of Bihar, Bihar Bhawan, Chanakyapuri, New Delhi.
10. Director, Directorate of Dairy Development, Government of Bihar Secretariat Patna
11. Managing Director, Bihar State Cooperative Milk Producers Federation Ltd Dairy Development Complex, P.O Bihar Vety.College, Patna-800 014 (By speed post)
12. PPS to Secretary(AH&D) / PS to JS(DD) / PS to DIR(DD) / AC(DD) / TO (DD) AO(Budget) /A-IV Section
13. Guard File.

(H.K. Jagota)

Approved Cost of IDDP Project- Bihar

VIth Project

(RS. IN LAKH)

COMPONENT-WISE ALLOCATIONS

		Target	Yearwise Allocation 2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	TOTAL
1.0	**MILK PROCESSING AND MARKETING**							
	CAPITAL EXPENDITURE							
1.1.1	Road Milk Tankers	3	-	-	15.00	-	-	15.00
1.1.2	DG Set (63 KVA)	1	-	3.50				3.50
1.1.3	Milk Parlour & Growth Centre	10	-	2.25	2.25	2.25	0.75	7.50
1.1.4	Bulk Cooler including civil work	6	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	80.00
1.1.5	Electronic Weighing Machine	2	-	-	0.25	0.25		0.50
1.1.6	Double Head Milk Filling Machine	1	-	5.50	-	-	-	5.50
1.1.7	Milk Pouch Crate Washer	1	-	3.00	-	-	-	3.00
1.1.8	SS Khoa Pan 120L cap. Tilting type	1	2.40	-	-	-	-	2.40
1.1.9	GulabJamun Proportioning Machine	1	15.00	-	-	-	-	15.00
1.1.10	GulabJamun frying Pan with conveyor	1	3.00	-	-	-	-	3.00
1.1.11	Gulabjamun balls conveyor of SS	1	2.50	-	-	-	-	2.50
1.1.12	Gulabjamun sugar syrup making pan including packing table etc.	1	6.50	-	-	-	-	6.50
1.1.13	Dahi making & Packing equipment including heating, auto culturing m/c	1	6.00	-	-	-	-	6.00
1.1.14	Electric equipment (transformer 100 KVA, air compressor)	1	7.75	-	-	-	-	7.75
1.1.15	Milk storage tanks 10 kl -1, 5kl-2	3	-	7.00	-	-	-	7.00
1.1.16	SS Pipes, Valves, Fittings	1 set	-	2.00	-	-	-	2.00
1.1.17	Electric, Water, Steam Pipes, etc.	1 set	-	1.00	-	-	-	1.00
1.1.18	Walk in type, pre-fabricated cold store	1	-	7.00	-	-	-	7.00
	Sub Total (1.1.0)		53.15	41.25	37.50	22.50	20.75	175.15
1.2.0	RECURRING EXPENDITURE							
	TOTAL (1.0)		53.15	41.25	37.50	22.50	20.75	175.15
2.0.0	MILK PROCUREMENT							
2.1.0	*CAPITAL EXPENDITURE*							
2.1.1	Stainless Steel Milk Cans	900	1.20	2.00	3.00	3.68	4.00	13.88
2.1.2	Milk Testing Equipment	225	0.75	1.05	1.35	1.65	1.95	6.75
2.1.3	Electronic Milkotester	10	-	-	0.44	0.66	1.10	2.20
2.1.4	Automatic Milk Collection Centre	2	-	-	1.60	-	1.60	3.20
2.1.5	Audio Visual/Extension Material	2	2.00	-	2.00	-	-	4.00
	Sub Total (2.1.0)		3.95	3.05	8.39	5.99	8.65	30.03
2.2.0	RECURRING EXPENDITURE							
2.2.1	Milk Testing Chemicals	225	0.75	1.05	1.35	1.65	1.95	6.75
2.2.2	Managerial Grant to DCS	225	0.75	1.05	1.35	1.65	1.95	6.75
2.2.3	Hiring Charges of Vehicle for supervision	3	-	1.20	1.20	1.20	-	3.60
2.2.4	Head Load Charges	-	0.22	0.59	1.10	1.97	3.44	7.31
	Sub Total (2.2.0)		1.72	3.89	5.00	6.47	7.34	24.41
	Total (2.0.0)		5.67	6.94	13.39	12.46	15.99	54.44
3.0.0	Technical Input Services							
3.1.0	Capital Expenditure							
3.1.1	VFA Boxes cum Vaccination Kit	75	0.40	0.20	0.30	0.40	0.50	1.80
	Sub Total (3.1.0)		0.40	0.20	0.30	0.40	0.50	1.80
3.2.0	RECURRING EXPENDITURE							
3.2.1	Urea straw Treatment	1125	0.61	0.88	1.13	1.38	1.63	5.63
3.2.2	Varietal Fodder Demonstration	1125	0.19	0.26	0.34	0.41	0.49	1.69
	Sub Total (3.2.0)		0.80	1.14	1.47	1.79	2.12	7.32
	TOTAL (3.0.0)		1.20	1.34	1.77	2.19	2.62	9.12
4.0.0	TRAINING/MANPOWER DEVELOPMENT							
4.1.0	CAPITAL EXPENDITURE							
4.1.1	Training Centre Computerisation	1						
	Sub Total(4.1.0)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.0	RECURRING EXPENDITURE (DCS Level)							
4.2.1	DCS Secretary/Tester/FIP.	225	2.58	3.61	4.64	5.67	6.70	23.20
4.2.2	First Aid worker	29	0.00	0.22	0.12	0.12	0.12	0.58
4.2.3	DCS Members for CMP	225	0.16	0.22	0.29	0.35	0.41	1.43
4.2.4	Dairy Animal Management	1125	1.24	1.74	2.24	2.74	3.23	11.19
4.2.5	Technical Inputs Promoter	70	0.00	0.20	0.30	0.40	0.50	1.40
4.2.6	Management Committee members	225	0.16	0.22	0.29	0.35	0.41	1.43
	Sub Total(4.2.0)		4.14	6.21	7.88	9.63	11.37	39.23
	At Union Level							
4.2.7	P&I Trg./Orientation of P&I Officers	2	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.16
4.2.8	P&I Trg./Orientation of P&I Sup.	15	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20	0.75
4.2.9	Production Enhancement Trg. For Supervisor	3	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	0.15
4.2.10	Production Enhancement Trg. For Officers	2	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.14
4.2.11	CMP Trg. For Union Staff	22	0.06	0.08	0.10	0.10	0.10	0.44
4.2.12	Dairy Plant Supervisors	3	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03	0.09
4.2.13	Trg. of field Sup. in Marketing	2	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.04
4.2.14	Trg. on Computer Application	2	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.06
	Sub Total(4.2.0)		0.31	0.31	0.40	0.43	0.38	1.83
	Sub Total -II		4.46	6.52	8.28	10.06	11.76	41.06
	Total (4.0.0)		4.45	6.52	8.28	10.06	11.75	41.06
	Total Capital Expenditure		57.50	44.60	46.19	28.89	29.90	206.98
	Total Reccuring Expenditure		6.97	11.55	14.76	18.32	21.21	72.00
	Grand Total		64.47	56.05	60.94	47.21	51.11	279.78

अनुलग्नक -2

1.0 PROJECT SUMMARY

1.1 With the increasing pressure on land for food grains, very slow or no industrialization in Saharsa, Supoul & Madhepura districts, there has been a migration of people from the rural areas to the adjoining cities in search of jobs. But due to very limited job opportunities in the Govt. or private sector due to poor industrialization, the rural masses have gradually starting visualising dairying as the major occupation for their livelihood

1.2 The prime objective of the proposed project is to generate and/ or supplement income of rural milk producers of Saharsa, Supoul & Madhepura districts, through co-operative dairying. The project, therefore, envisages organising them in dairy cooperatives, which will provide round the year outlets for the disposal of surplus milk at the village level. The project also aims at increasing the productivity of existing stock of cattle through artificial insemination (AI) programme with frozen semen technology and providing other milk production enhancement inputs which will directly help the milk producers to increase their income.

1.3. It has been projected to organise 225 new dairy cooperative societies (DCS) enrolling about ten thousand two hundred milk producers in the Saharsa, Supoul & Madhepura districts during the project period from 2001-02 to 2005-06. At the end of the project, it is expected that there will be 210 functional DCS. It is also envisaged that the milk producers of the area will pour around 15.70 thousand kgs of milk in the DCS every day.

Keeping in view the distance between the DCS villages in Saharsa, Supoul & Madhepura and Barauni dairy where the milk so collected will be processed, it has been proposed to establish six bulk coolers with a total chilling capacity of 24.0 thousand litres per day (TLPD). It has been proposed to pack milk in the packaging station to be established and produce and pack, value added milk products, namely dahi and gulab jamuan for marketing within and outside the project area.

1.4 Total fund requirement for the project period of five years will be Rs.363.54 lakhs, of which the capital expenditure has been estimated to be Rs.286.23 lakhs whereas the recurring expenditure works out to be Rs.76.81 lakhs.

Saharsa and Madhepura were identified as a part of the Saharsa milkshed but work could not be taken up during Operation Flood and thus no investment was made under Operation Flood programme. All the project districts are almost industrially backward and are devoid of any medium and/ or heavy industry except for a paper factory set up in Saharsa by Bihar State Industrial Development Corporation and a private steel re-rolling factory. Thus keeping in view that no diary development work has been done either by the State Govt. or by Milk Federation under OF and there are no industries in the districts, the proposal will be posed to the Department of AH and Dairying in the Government of India for considering it on 100% grant basis under Integrated Dairy Development Programme, a centrally sponsored scheme.

1.5 The poverty alleviation programmes/ schemes launched by the Government Deptt. in the State will be dovetailed specially for the distribution of crossbred cows to the members of DCS, creation of infra-structure (under DRDAs). No provision has been made in the project cost indicated above, though it is expected to cost about Rs.45-50 lakhs which will flow from their regular/ on-going plan schemes.

1.6 The Bihar State Co-operative Milk Producers' Federation Ltd. (Comfed) through Barauni Milk Union, Barauni, one of its affiliated milk unions, will implement the project.

1.7 The Project is expected to give direct employment to approx. 10,000 rural families besides opportunity to about 300-325 rural educated youths to work as secretaries, AI workers, testers in the villages itself where DCS are opened. The project will also provide employment to those engaged in rendering supportive services like transportation of milk, manufacturing of glass-wares, milk testing/ AI equipment & chemicals etc.

2.0 PREAMBLE

2.1 Saharsa and Madhepura districts are agricultural districts. Almost 93.0% of the population lives in villages. Though the milkshed area is endowed with number of rivers, about 30 of the total sawn area is irrigated. The topography of the proposed milkshed districts had been affected by the ravages of floods which is being reclaimed gradually. Average size of holdings is approximately 0.89 ha. paddy, wheat, jute and maize are main cereal crops whereas sugar-cane is the cash-crop grown in the area. Bank credit per capita for agriculture is Rs.77-45 in the milkshed against an all India average of Rs.222.00. Population density per km. is high and urbanisation is hardly 7%.

2.2 The pressure on land is increasing for food grains production for human consumption. There has been very slow or no industrialisation in Saharsa and Madhepura districts. . Crop failure as a result of natural wagaries has been shattering the confidence of farmers in agriculture. Therefore, migration of people to the adjoining cities and towns and states like Punjab, Harayana, UP in search of jobs is taking place. But unfortunately there have been scanty job opportunities in the Government departments and in private sector in cities/ towns due to poor industrialisation - per capita bank credit for small scale industry and medium/heavy industry is Rs.14.00 and Rs.20.00 respectively against an all India average of Rs.185.00 (small scale) and Rs.705.00 (medium/heavy). Road communication, power supply are very poor in both the districts and amenities like education, medical health etc. have not reached off the villages in the milkshed districts. On seeing the progress and impact of cooperative dairying in the neighbouring districts and states, gradually dairying is being envisaged as the major alternative occupation by rural masses for their livelihood.

2.3 The State Animal Husbandry and Dairy Development Departments have hardly done any work for dairy development in Saharsa and Madhepura districts. Animal health services are very inadequate and very little work has

been done for the breed improvement. Due to financial constraints and lack of man-material infra-structure, most of the Government institutions in the animal health field are defunct. Annexure - 3 embodies details of veterinary services available in the project area.

3.0 PRESENT STATUS OF DAIRY DEVELOPMENT WORK DONE IN SAHARSA, SUPOUL & MADHEPURA DISTRICTS

3.1 As state above, dairy development work in earstwhile Saharsa district started with the establishment of about eight DCS way back in 1994 by Barauni Milk Union. Milk was brought to Khagaria CC keeping in view the milk procurement and economical viability of the route, the operations were closed down.

Barauni dairy has started marketing of milk and milk products in Saharsa, Supoul towns. Around two thousand litres of milk in pouches is sent in insulated van keeping in mind the distance involved.

3.2 No or very insignificant work has been done by the State Dairy Development Department. No processing/ chilling infra-structure has been created. However, DRDA Saharsa endeavoured to initiate dairy development activities by organising a route and installing a bulk cooler but nothing fruitful has been achieved so far.

The role of Department of AH & fisheries also has not been very significant in improving the productivity of livestock or providing their infra-structural facilities for taking up rearing of livestock for their livelihood. Though there are four veterinary hospital, 35 AI centres, forty four veterinary dispensaries and 35 stockmen centres, most of there are defunct.

4.0 OBJECTIVES OF THE PROJECT

4.1 The main objective of the project is to create rural employment and to increase the income level of rural farmers in Saharsa, Supoul & Madhepura districts through cooperative dairying.

4.2 Creating awareness, confidence, new skills and reinforcement thereof and leadership qualities amongst the milk producers through cooperative dairying for managing their cooperatives more confidently and efficiently.

4.3 With a view to have a forward linkage, one of the objectives of the project will be creation of necessary infrastructure for the chilling of milk, packaging of milk and production of value added products at Barauni Dairy so that disposal of milk collected by the DCS could be done.

5.0 PROJECT PROPOSAL

Based on the above given objectives, the proposed project will consist of following components :-

सेवा में

उप–सचिव,

बिहार विधान–सभा,

पटना।

विषय––लोक लेखा समिति के प्रारूप प्रतिवेदन संख्या 484 एवं 488 में सन्निहित आँकड़ों का सम्परीक्षण।

प्रसंग––आपका पत्र सं0–2लो0ले0स0–14/2012–430/वि0स0, एवं 2लो0ले0स0–13/2012–431/वि0स0, दिनांक 16 अप्रील, 2012

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) की पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग तथा उद्योग विभाग से संबंधित विभिन्न वर्षों की कंडिकाओं पर लोक लेखा समिति का प्रारूप प्रतिवेदन संख्या 484, एवं 488 में सन्निहित लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के आँकड़ों का सम्परीक्षण कर आवश्यक सुधार के पश्चात् इसे मूल रूप में लौटाया जा रहा है।

अनुलग्नक––प्रासंगिक पत्रों के अनुलग्नकों की मूल प्रति।

विश्वासभाजन,

(ह0) अस्पष्ट,

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी,

बिहार, पटना।

बि0सु0मु0 (एल0ए0), 127–डी0टी0पी0–500

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2012